<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 65/2023 (उदयपुर डिक्री)</u>

उदा पिता धर्मा जी, जाति डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. खेमराज पिता धर्मा जी, जाति डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नाथू पिता ऊंकार जी, जाति डांगी, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती खेमणी पुत्री स्व. ऊंकार जी पत्नी गणेश जी, जाति डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री ऊंकार जी पत्नी नन्दलाल जी डांगी, निवासी लकड़वास, खेगरों की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. डालू पिता धर्मा जी, जाति डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. प्यारेलाल पिता स्व. नन्दा जी, जाति डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती नारायणी पुत्री स्व. नन्दा जी, जाति डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. नन्दा जी, जाति डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 17–01–2023 प्रकरण संख्या 77/21

———/———

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:20 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थित</u> :— 1— श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री चुन्नीलाल डांगी अभिभाषक रे. सं. 1
3— श्री महेन्द्र मेनारिया अभि. रे. सं. 2 से 4
4— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 25—04—2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भल्लों का गुड़ा में आराजी नंबर 3538 रकबा 0.2100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा श्रीमती गंगाबाई पुत्री धर्मा का 1/6 हिस्सा दर्ज है। श्रीमती गंगाबाई का निधन हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हैं। प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा तथा नन्दा पिता धर्मा का 1/6 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजियात का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वाद वर्णित आराजी का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 03—07—2021 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17—01—2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23—08—2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सं[illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:20 IST
Reason: SelfAttested

से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13–08–2023 को प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आकर पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार मौके पर स्वयं नहीं गये तथा पटवारी हल्का को विभाजन करने के लिए अधिकृत कर दिया। पटवारी हल्का ने भी मौके पर उपस्थित रहने की कोई सूचना नहीं दी तथा बिना मौका देखे विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिया, जिसमें अपीलान्ट को पीछे की भूमि दी गयी है, जो बंटवारा नियमों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जाकर कब्जे एवं मूल्य के आधार पर पुनः विभाजन करवाया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:20 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे एवं मूल्य को ध्यान में रखकर ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है एवं बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट/वादी की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तद्नुसार उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 17–01–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–06–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:20 IST
Reason: SelfAttested